



अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाबता दिवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरु कैम्प-चूरु

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

रामकिशन पुत्र चूनाराम जाति ब्राह्मण निवासी नाकरासर तहसील जिला चूरु
-वादी-

बनाम

1. भंवरलाल
 2. श्रवणकुमार
 3. विद्याधर
 4. द्रोपती पत्नी स्व.परमेश्वरलाल जाति ब्राह्मण निवासी नाकरासर तह. जिला चूरु
 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरु
- प्रतिवादीगण-

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 710 सन् 2017



यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री रामकिशन वादी
विरुद्ध, मिनजानिब मुदईब प्रतिवादी सं. 1 से 5 स्वयं मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म
दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

लोक अदालत की भावना से राजीनामा व बाहमी विभाजन के आधार पर दावा वादी
स्वीकार किया जाता है एवं वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम नाकरासर के ख.नं. 64 तादादी
16.10 बीघा में वादी के स्थान पर प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काशतकार घोषित किया
जाता है एवं रोही ग्राम ढाढरिया बणीरोतान के ख.नं. 330 तादादी 35.18 बीघा में से
प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर दिखनादी तरफ की 7.10 बीघा का प्रतिवादी सं. 4 को व
उतरी तरफ की 28.08 बीघा का प्रतिवादी सं. 1 को तथा वादी के स्थान पर ख.नं. 328 की
सम्पूर्ण 20.10 बीघा में प्रतिवादी सं. 4 को, ख.नं. 326 तादादी 37.05 बीघा में से दिखनादी
तरफ की 10.00 बीघा में प्रतिवादी सं. 2 को एवं उतरादी तरफ की 27.05 बीघा में
प्रतिवादी सं. 3 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त घोषणा अनुसार
प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में कुल 28.00 बीघा, प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से में 26.10 बीघा,
प्रतिवादी सं. 3 के हिस्से में 27.05 बीघा एवं प्रतिवादिनी सं. 4 के हिस्से में 28.00 बीघा
भूमि रहेगी। उपरोक्तानुसार प्रतिवादीगण का खाता विभाजन स्वीकार किया जाकर अलग
खाता व लगान निम्नानुसार कायम करने का आदेश दिया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरु

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व पता	रोही ग्राम	ख.नं. मय आसापासा	तादादी	लगान
1.	भंवरलाल पुत्र रामकिशन जाति ब्राह्मण निवासी नाकरासर खातेदार	ढाढरिया बणीरोतान	330 मि. उतरी	28.08 बीघा	11.36
2.	श्रवणकुमार पुत्र रामकिशन जाति ब्राह्मण निवासी नाकरासर खातेदार	ढाढरिया बणी	326 मि. दिख.	10.00 बीघा	4.00
		.नाकरासर	64 सम्पूर्ण	16.10 बीघा	6.60
		-	किता-2	26.10 बीघा	10.60
3.	विद्याधर पुत्र रामकिशन जाति ब्राह्मण निवासी नाकरासर खातेदार	ढाढरिया बणीरोतान	326 मि. उतरी	27.05 बीघा	10.90
4.	द्रोपती पत्नी स्व. परमेश्वरलाल जाति ब्राह्मण निवासी नाकरासर खातेदार	ढाढरिया बणीरोतान	330 मि. दिख.	7.10 बीघा	3.00
		-	328 सम्पूर्ण	20.10 बीघा	8.20
		-	किता-2	28.00 बीघा	11.20

तहसीलदार, चूरु निर्णय व डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 09 माह दिसम्बर सन् 2017 को लोक अदालत में जारी की गई।



(श्वेता कोचर)
उपस्थित अधिकारी, चूरु
चूरु